>

Title: Regarding amendments in Food Security and Standards Act in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा रैगुलेशन 2011 में आंशिक संशोधन की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली के तहत खाद्य व्यापारी को 15 अगस्त, 2012 तक लाईसेंस निबन्धन कराना है। सम्बन्धित कानून को भारत सरकार द्वारा अंगीकार किया गया है, जिसे देश के राज्यों को लागू करना है, परन्तु इस कानून में विसंगतियां हैं, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। कानून को लागू करने की तारीख को राज्य के व्यापारियों की मांग पर 6 महीने के लिए विस्तार करना श्रेयस्कर होगा।

वर्तमान में उक्त अधिनियम के तहत शुल्क अदा करने के दृष्टिकोण से सिर्फ 12 लाख तक रजिस्ट्रेशन तथा 12 लाख से ऊपर को निबन्धन में बांटा गया है। इस शुल्क को कम से कम 6 खण्डों में विभाजित किया जाना चाहिए।

खाद्य पदार्थों, अनाज एवं फलों में कीटनाशक एवं अन्य रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाने से जन स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिसके लिए मैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

अन्त में मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झारखण्ड के खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आंशिक संशोधन किया जाये।